## न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

**पीठासीन अधिकारी– श्री रोहिताश्व सिंह तोमर (आई0ए0एस)**

प्रकरण संख्या 48/2024

**बउनवान**

मांगीलाल आयु 70 वर्ष पुत्र किशना जाति मीणा निवासी मालबमोरी तहसील मांगरोल जिला बारां राज०

अपीलांट

**बनाम**

1– नारायण आयु 65 वर्ष पुत्र मोगर्‌या जाति बैरवा निवासी माल बमोरी तहसील मांगरोल जिला बारां
2– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल

रेस्पोडेन्ट्स

**अपील अन्तर्गत धारा 225 आर.टी.एक्ट**
**अपील विरूद्ध आदेश निर्णय दिनांक 18–9–2024 अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार मांगरोल प्रकरण सं0 2/2024 बउनवान मुकदमा नारायण बनाम मांगीलाल**
**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183 (बी) आर.टी.एक्ट**

उपस्थिति :– 1. श्री घनश्याम गर्ग अभिभाषक (अपीलांट)
2. श्री कमलदीप सिंह हाड़ा अभिभाषक (रेस्पोडेन्ट)

**निर्णय दिनांक 19.03.2025**

अपीलान्ट्स की ओर से जर्ये अभिभाषक प्रस्तुत अपील संक्षेप में इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय खिलाफ कानून होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो० कम 1 नारायण द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183 बी आर.टी. एक्ट दिनांक 19–10–2023 को प्रस्तुत कर निवेदन किया था कि दिनांक 24–5–2023 की सीमाज्ञान के आधार पर प्रार्थी के खाते व कब्जे काश्त की आराजी खसरा नं0 163 रकबा 1.38 हेक्टे0 में दक्षिणी ओर के हिस्से पर अवैध कब्जा कर लिया है उसके पश्चात हल्का पटवारी से रिपोर्ट दिनांक 28–5–2024 प्राप्त होने पर लगभग 0.30 हेक्टे० कृषि भूमि दक्षिणी ओर अवैध कब्जा बताने पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर दिनांक 5–6–2024 को किया जाकर अप्रार्थी/अपीलांट एवं परिवारजन को तलब किये जाने पर अपीलांट द्वारा दिनांक 3–7–2024 को उपस्थिति दी गई तत्पश्चात दिनांक 26–7–2024 को उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत किया एवं दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 29–7–2024 को पुनः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया लेकिन अधिनस्थ न्यायालय द्वारा एक तरफा आदेश दिनांक 18–9–2024 को बेदखली का आदेश प्रदान किया गया जो खिलाफ कानून होने से निरस्त किये जाने योग्य है। जमाबंदी सम्मत 2036–40 में अपीलांट के परिवार की कृषि भूमि खसरा नं0 397 रकबा 14.04 बीघा थी जिसका बाद सेटलमेन्ट नया खसरा नं0 167 रकबा 0.79 एवं खसरा नं0 161 रकबा 0.78 हेक्टे० एवं खसरा नं0 160/1188 रकबा 0.80 हेक्टे० बनाया गया तथा रेस्पो० कम 1 प्रार्थी का पुराना खसरा नं0 396 रकबा 7.08 बीघा था जिसका नया खसरा नं0 163 रकबा 1.38 हेक्टे० बाद सेटलमेन्ट [illegible] त 2044–2063 में दर्ज किया गया इस प्रकार प्रार्थी नारायण के हिस्से मे लगभग 0.20 हे[illegible] 1.05 बीघा रकबा अधिक दर्ज कर दिया गया इस कारण अपीलांट के खाते व कब्जे मे कोई [illegible] योकि अपीलांट पुरानी पुश्तेनी कृषि भूमि के आधार पर ही काबि[illegible] आ रहा है [illegible] अपीलांट एवं रेस्पो० के [illegible] के मध्य पुरानी मेड पडी हुई है जिस पर वर्तमान मे [illegible] परिवार नियमानुसार [illegible] काश्त चले आ रहे है। रेस्पो. कम 1 के पहले खाते मे 7.08 बीघा जमी[illegible] र्थात 1.18 हेक्टे० थी [illegible] वर्तमान जमाबंदी मे रकबा 1.38 हेक्टे० अर्थात 8.13 बीघा दर्ज करदी गई इस प्रकार 1.05 बीघा अर्थात 0.20 हेक्टे० अधिक भूमि दर्ज होने के कारण अपीलांट के खसरा नं0 161 में अवैध रूपसे अधिक जमीन मानकर 0.30 हेक्टे० रेस्पो०

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2025.05.09 16:42:12 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर

की खसरा नं0 163 रकबा 1.38 हेक्टे0 में से दक्षिणी दिशा में कब्जा दिलाने का आदेश प्रदान किया गया है जो खिलाफ कानून होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार मांगरोल का निर्णय दिनांक 18–9–2024 मुकदमा नं0 2/24 निरस्त फरमाया जावे। अन्य सहायता जो न्यायोचित हो प्रदान की जावे।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर, रेस्पोडेंटगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी। रेस्पोडेन्ट कम 1 जर्ये अभिभाषक उपस्थित हुआ। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड प्राप्त होने पर हमने प्रकरण बहस हेतु नियत किया।

हमने बहस उभयपक्ष विद्वान अभिभाषकगण सुनी। दौराने बहस अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट पुरानी पुश्तेनी कृषि भूमि के आधार पर ही काबिज चला आ रहा है एवं अपीलांट एवं रेस्पो० के खेतो के मध्य पुरानी मेड पडी हुई है जिस पर वर्तमान मे अपीलांट व अपीलांट का परिवार नियमानुसार काबिज काश्त चले आ रहे है। राजस्व रेकार्ड जमाबंदी संवत 2036–40 में अपीलांट के परिवार की कृषि भूमि खसरा नं0 397 रकबा 14.04 बीघा थी जिसका बाद सेटलमेन्ट नया खसरा नं0 167 रकबा 0.79 एवं खसरा नं0 161 रकबा 0.78 हेक्टे० एवं खसरा नं0 160/1188 रकबा 0.80 हेक्टे० बनाया गया तथा रेस्पो० कम 1 प्रार्थी का पुराना खसरा नं0 396 रकबा 7.08 बीघा था जिसका नया खसरा नं0 163 रकबा 1.38 हेक्टे० बाद सेटलमेन्ट जमाबंदी सम्मत 2044–2063 में दर्ज किया गया इस प्रकार प्रार्थी नारायण के हिस्से मे लगभग 0.20 हेक्टे० अर्थात 1.05 बीघा रकबा अधिक दर्ज कर दिया गया इस कारण अपीलांट के खाते व कब्जे मे कोई अवैध कब्जा काश्त नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे।

दौराने बहस अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्ट अनुसूचित जाति के सदस्य हैं तथा विवादित आराजी के रेकार्डेड खातेदार तथा काबिज काश्त हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान किया है। अपीलांट ने साबिक रकबे व हाल रकबे अनुसार रेस्पोडेन्ट के खाते में अधिक भूमि दर्ज होना अपील में अंकित किया है, इसी तथ्य के आधार पर अपीलांट ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल में वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 92 ए, 188 आर0टी0एक्ट तथा 136 एल0 आर0 एक्ट के तहत वाद प्रस्तुत किया जिसमें माननीय न्यायालय ने तहसीलदार मांगरोल से प्राप्त विस्तृत रिपोर्ट अनुसार गत रकबा अनुसार हाल रकबे में वादी/अपीलांट के कोई कमी नहीं होने के कारण द्वारा बाद सुनवाई निर्णय दिनांक 18.12.2024 से अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद खारिज किया गया है। रेस्पोडेन्ट अनुसूचित जाति का सदस्य एवं विवादित आराजी का रेकार्डेड खातेदार है तथा अपीलांट द्वारा रेस्पोडेन्ट के खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी पर अवैध अतिक्रमण करने पर रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183 बी आर0 टी0 एक्ट पेश किया जिसमें बाद सुनवाई गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित किया गया है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। चूंकि अपीलांट द्वारा अपील में अंकित तथ्यों का अधीनस्थ न्यायालय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल में प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 92 ए, 188 आर0टी0एक्ट तथा 136 एल0 आर0 एक्ट में विवेचन किया जाकर अपीलांट की ओर से प्रस्तुत वाद बाद सुनवाई गुणावगुण के आधार पर खारिज किया जा चुका है। यदि अपीलांट न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल द्वारा पारित निर्णय से असंतुष्ट है तो उसे उक्त निर्णय के विरूद्ध चाराजोही करना चाहिये। परिणामस्वरूप अपील अपीलांट सारहीन होना पाई जाती है।

अतः अपील अपीलां[illegible] जाती है।

निर्णय हमारे द्वारा लिखाया जाकर [illegible] 19.03.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2025.05.09 16:42:12 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बारां (राज०)

(रोहिताश्व सिंह तोमर)
जिला कलक्टर,बारां
जिला कलक्टर
बारां (राज०)